

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

केवलचंद मीना पुत्र श्रीकिशन मीना, निवासी परमेश्वर नगर, प्रभु की बगिया के सामने,
मसूदा रोड, ब्यावर, जिला अजमेर राज. — अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली — प्रत्यर्थी
अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-02.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 24.02.2021, 02.03.2021 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर चारागाह भूमि खसरा नंबर 783 ग्राम आखावाड़ा, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली पर अतिक्रमण कर किये गये पक्के निर्माणों को अविलम्ब रुकवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र पर हुई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक-सू.अ.अ./2021/76 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि प्रकरण में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक-सू.अ.अ./2020/395 दिनांक 13.08.2020 से एवं पुनः पत्रांक 561 दिनांक 01.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया गया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 387 दिनांक 06.08.2020 द्वारा आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम को भी अंतरित किया गया था।
8. उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम द्वारा पत्रांक 757 दिनांक 23.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है।
9. प्रत्यर्थी एवं उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
10. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
13. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली